न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
171/2024	09.02.2024	24.09.2025

ठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

– कालूलाल आत्मज पोखरीलाल जाति मीना निवासी कोलाना हाल निवास माल बमोरी तहसील भांगरोल जिला बारा

(वादी)

बनाम

1– केसरा आत्मज चतरा जाति मीना मृतक जरिये कायम मुकाम–
1/1–बाबूलाल आत्मज स्व० केसरा जाति मीना निवासी ग्राम टारडा तहसील अन्ता जिला बांरा।
2– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा।

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से –श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादी क्रम 1/1 की ओर से – श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

यह कि ग्राम पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला कोटा में निम्न वितरण की कृषि भूमियां दर्ज चली आ रही है नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 पेश है।

खसरा संख्या 386 रकबा 0.50 हैक्टयर
खसरा संख्या 392 रकबा 0.30 हैक्टयर
कुल 2 किता की रकबा 0.80 हैक्टयर

यह कि पूर्व में उपरोक्त भूमि पोखरा जी व चतरा जी के नाम 1/2, 1/2 हिस्से से दर्ज थी। पोखरा जी व चतरा जी दोनों भाई थे। दोनों भाईयों की मृत्यु उपरान्त उपरोक्त भूमि जमा रिकार्ड में केसरा, रघुनाथ पिस० चतरा हिस्सा 1/2, व काल्या पिता पोखरा मीना हिस्सा 1/2 के नाम दामलाती खाते में दर्ज हुई। वादी का नाम पूर्व में काल्या पिता पोखरा था जिसे न्यायालय के आदेश से काल्या पिता पोखरा के स्थान पर कालूलाल आत्मज पोखरीलाल दर्ज करने के आदेश पारित किये गये।

नायब तहसीलदार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

यह कि यही इन्द्राज खाता नं० 13 की जमाबन्दी सम्वत् 2057—60 में दर्ज रहा। लेकिन ता नं० 16 नया पर वादी का 1/3, प्रतिवादी नं० 1 व रघुनाथ का 1/3, 1/3 हिस्सा तेवादी नं0 2 के कर्मचारियों ने दर्ज कर दिया जो गलत है। जब कि उक्त भूमि में वादी का /2 हिस्सा व प्रतिवादी नं० 1 व रघुनाथ का 1/2 हिस्सा है। खातेदार रघुनाथ जो प्रतिवादी ० 1 का भ्राता है जो अविवाहित था जिसकी बाल्य अवस्था में ही लाऔलाद मृत्यु हो गयी स कारण राजस्व रिकार्ड में से रघुनाथ का नाम डिलीट किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से ा व प्रतिवादी नं० 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह कि वादी ने प्रतिवादी नं0 2 से दिनांक 2—2—2024 को राजस्व रिकार्ड में रघुनाथ का नाम डिलीट करने व वादी व प्रतिवादी नं० 1 को 1/2, 1/2 को खातेदार घोषित कर इन्द्राज दुरूस्ती करने हेतु कहा तो प्रतिवादी नं0 2 ने दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया। इस कारण वादी के लिये माननीय न्यायालय में वाद पेश करना आवश्यक हो गया है।

यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्दाज दुरूस्ती का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना अति आवश्यक हो गया है। वाद कारण प्रतिवादी नं 2 द्वारा रघुनाथ का नाम हटाने व वादी व प्रतिवादी नं० 1 को 1/2 हिस्से से घोषित किये जाने दिनांक 2—2—2024 को इन्कार करने पर पैदा हुआ। प्रतिवादी न० 2 राजस्थान सरकार भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

यह कि बाद अर्जेन्ट एवं इमीजिएट रिलीफ से सम्बन्धित है। इस कारण वादी ने वाद में प्रतिवादी नं० 2 राजस्थान सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का नोटिस नहीं दिया है और बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके लिए धारा 80 (2) जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है कारण कि वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है और वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वाद वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे:—

कि ग्राम दीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला कोटा के खसरा संख्या 386 रकबा 0.50 हैक्टयर खसरा संख्या 392 रकबा 0.30 हैक्टयर कुल 2 किता रकबा 0.80 हैक्टयर भूमि में सहखातेदार रघुनाथ का नाम डिलीट किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी नं0 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा सही रूप से दर्ज किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु विधिवत सम्मन जारी किये। प्रतिवादी की ओर अधिवक्ता श्री रामप्रसाद शर्मा ने इकबालिये जवाव दावा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। इकबालिये जवाब अनुसार प्रतिवादी नं0 1 का भ्राता है जो अविवाहित था जिसकी बाल्यावस्था में ही लाऔलाद मृत्यु हो गयी इस कारण राजस्व रिकॉर्ड

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

नायब तहसीलदार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

ा रघुनाथ का नाम डिलीट किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी नं0 1 को 2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाने में आपत्ति नहीं है। अतः जवाब दावा पेश कर ना है कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला टा की खसरा संख्या 386 रकबा 0.50 है0 खसरा संख्या 392 रकबा 0.30 हैक्टयर कुल 2 ता रकबा 0.80 है0 भूमि में सहखातेदार रघुनाथ का नाम डिलीट किया जाकर वादी को /2 हिस्से का व प्रतिवादी नं0 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व कार्ड में हिस्सा सही रूप से दर्ज किया जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। साथ ही, नों पक्षों के बीच आपसी राजीनामा हुआ, जो शामिल फाईल किया गया।

राजीनामा

यह कि उपरोक्त वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आज तारीख शी नियत है। यह कि उक्त वाद में पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है तथा उक्त विवादित भूमि केसरा रघुनाथ पि0 चतरा 1/2 हिस्सा व काल्या पिता पोखरा 1/2 हिससे से दर्ज होना रघुनाथ अविवाहित था व बाल्यावस्था में लाऔलाद मृत्यु हो गयी इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में से रघुनाथ का नाम डिलीट किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नं0 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है

बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता से करवाई गयी एवं प्रतिवादी की पहचान प्रतिवादी के अधिवक्ता से करवायी गयी। वादी साक्ष्य में वादी अधिवक्ता ने साक्ष्य शपथ–पत्र PW-1 बाबूलाल आत्मज स्व0 केसरा PW-2 कालूलाल आत्मज पोखरीलाल का पेश किया जो शामिल फाईल किया गया। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन अवलोकन एवं मनन किया गया। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी का वाद राजीनामा के आधार पर वाद को आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभय पक्षकारान के मध्य सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार ग्राम पोपल्दा बीरम तहसील दीगोद के खेत खसरा संख्या 386 रकबा 0.50 हैक्टयर खसरा संख्या 392 रकबा 0.30 हैक्टयर कुल 2 किता रकबा 0.80 हैक्टयर वादग्रस्त भूमि में वादी को 1/2 हिस्से का तथा सहखातेदार केसरा पुत्र चतरा को 1/4 हिस्सा एवं रघुनाथ पुत्र चतरा को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला दीगोद (राज.)

पत्रेटो प्रति प्रमाणित

नायब तहसीलदार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

कालूलाल आत्मज पोखरीलाल जाति मीना निवासी कोलाना हाल निवास माल बमोरी तहसील मांगरोल जिला बारां।

(वादी)

बनाम

- केसरा आत्मज चतरा जाति मीना मृतक जरिये कायम मुकाम–
  1/1–बाबूलाल आत्मज स्व० केसरा जाति मीना निवासी ग्राम टारडा तहसील अन्ता जिला बांरा।
- राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा।

(प्रतिवादीगण)

ादी की ओर से –श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
तिवादी कम 1/1 की ओर से – श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट
मिसल नं 171/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादीगण व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार ग्राम पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद के खेत खसरा संख्या 386 रकबा 0.50 हैक्टयर खसरा संख्या 392 रकबा 0.30 हैक्टयर कुल 2 किता रकबा 0.80 हैक्टयर वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार रघुनाथ का नाम डिलीट किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का तथा सहखातेदार केसरा पुत्र चतरा को 1/4 हिस्सा एवं रघुनाथ पुत्र चतरा को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 24.09.2025 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

फोटो प्रति प्रमाणित
नायब तहसीलदार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)